सं0सं0 :– निग0/सारा(पथ)–15–वि0का0–05–03/2025....................

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग

संकल्प

चूंकि झारखण्ड राज्यपाल को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि मो0 अख्तर हुसैन, सहायक अभियंता, अनुश्रवण पथ अंचल, हजारीबाग, तदेन सहायक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ अवर प्रमंडल, गांवा, गिरिडीह द्वारा गिरिडीह जिलांतर्गत पदस्थापन काल में गिरिडीह जिला के फतेहपुर मोड़ से बोंगी पथ परियोजना अंतर्गत अरगा नदी पर निर्माणाधीन पुल के निर्माण कार्य में कर्तव्य के प्रति अनियमितता/लापरवाही बरती गयी है जिसके कारण पुल क्षतिग्रस्त हो गया, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में उल्लेखित है। अतएव उनके द्वारा बरती गई अनियमितता/लापरवाही के लिए झारखण्ड सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावाली 2016 के नियम–16(1)(क) के तहत विहित रीति से विभागीय कार्यवाही चलाई जाय।

2. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के रूप में क्रमशः श्री इकबाल आलम अंसारी, सेवानिवृत भा0प्र0से0, विभागीय जांच पदाधिकारी, झारखण्ड, रांची एवं अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, हजारीबाग को नियुक्त किया जाता है।

3. मो0 अख्तर हुसैन, सहायक अभियंता से अपेक्षा की जाती है कि वे इस संकल्प के निर्गत की तिथि से 10 कार्यदिवस के अन्दर संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अथवा जैसा संचालन पदाधिकारी आदेश दें, उसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति आरोप पत्र एवं साक्ष्य तालिका के साथ श्री इकबाल आलम अंसारी, सेवानिवृत भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(अखौरी शशांक सिन्हा)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक :– निग0/सारा(पथ)–15–वि0का0–05–03/2025 8463(S) **राँची, दिनांक :–**

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची/विभागीय नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, पथ निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.09.25

सरकार के विशेष सचिव।